पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी
अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नही। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो,
देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिव्हर्सिटी
फेक्स: 0731–529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

पृ.कं. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2019 / 03 दिनांक 11 JAN 2019

/ / सूचना / /

अपर परियोजना निदेशक, विश्व बैंक परियोजना (रूसा), उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र कं. 785 / वि.बैं.परि. / 2018, दिनांक 05 / 12 / 2018 के सदंर्भ में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता / नवीनीकरण / निरंतरता / सीट संख्या वृद्धि प्राप्त करने, नवीन महाविद्यालय / नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व से संचालित विषयों की द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष की अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल / केन्द्रीय निकाय की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण जानकारी (आवश्यक प्रपत्रो) के साथ **MP Online** के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क, **18 %** जी.एस.टी. सहित जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार रखी गई है:–

क्र	पाठ्यक्रम	विश्वविद्यालय में **MP Online** के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
1	कला, वाणिज्य, विज्ञान, समाज विज्ञान, गृहविज्ञान, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, प्रबंधन एवं अन्य सामान्य पाठ्यक्रमों की सत्र् 2019–20 में नवीन सम्बद्धता / नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने / अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण / निरंतरता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि।	**31 जनवरी, 2019**
2	**50 %** अतिरिक्त विलम्ब शुल्क सहित **(with late fees)** आवेदन करने की अंतिम तिथि।	**15 फरवरी 2019**

महाविद्यालय **MP Online** के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि पश्चात् पॉच दिवस के अन्दर सम्पूर्ण आवेदनपत्र **(PART-A)** मय संलग्नको / प्रस्तुत दस्तावेजों को तालिकानुसार फ्लेग के साथ प्राचार्य / संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर, महाविद्यालय की सील सहित विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता हैं कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावें जब कि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो । किसी भी महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जावें। यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्था की होगी। विश्वविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी । ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की भी सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी ।

ऑनलाइन आवेदन नहीं करने पर अस्थाई सम्बद्धता / नवीनीकरण / सीट संख्या वृद्धि प्रकरण पर कार्यवाही नही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय / संस्था की होगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.कं. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2019 / 03 दिनांक 11 JAN 2019
प्रतिलिपि :–

1. सम्पादक, दैनिक ———————————— की ओर भेजते हुए निवेदन है कि आपके लोकप्रिय दैनिक के समाचार वृत्त में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. अपर परियोजना निदेशक, विश्व बैंक परियोजना (रूसा), उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. प्राचार्य / संचालक, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, खरगोन, खण्डवा, बडवानी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।